सं. 129] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2003/भाद्र 4, 1925
No. 129] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2003/BHADRA 4, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2003

सं. टीएएमपी/47/2003-एनएमपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान न्यू मेंगलूर पत्तन से निर्यातित लौह अयस्क/गुटिकाओं पर, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, बंदरगाह शुल्क प्रभार निर्धारित करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं.टीएएमपी/47/2003-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) ....आवेदक

आदेश

(अगस्त, 2003 के 11वें दिन पारित)

यह प्रकरण वर्ष 2001-02 में एनएमपीटी के माध्यम से कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा निर्यातित लौह अयस्क/गुटिकाओं के लिए अंतिम बंदरगाह शुल्क प्रभार निर्धारित करने हेतु नयू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एनएमपीटी ने कहा है कि एनएमपीटी के माध्यम से केआईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क की बंदरगाह शुल्क दर, संबंधित वर्ष के दौरान हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ में परिकलित की जाती है। केआईओसीएल के मामले में बंदरगाह शुल्क दरों के निर्धारण की कार्यविधि 27 मई, 1992 को सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच हुई अंतर-सचिवीय बैठक में लिए गए निर्णयानुसार है। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केआईओसीएल की बंदरगाह शुल्क दर निम्नलिखित विभिन्न घटकों पर वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिए:—

(i) यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का हिस्सा।

(ii) प्रहस्तित यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय।

(iii) मूल्य ह्रास।

(iv) प्रबंधन और प्रशासन उपरिव्ययों का हिस्सा।

(v) पूंजी पर ब्याज।

(vi) 6 % की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ।

3. एनएमपीटी ने कहा है कि वर्ष 2001-02 की बंदरगाह शुल्क दर द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार एमआरपीएल, केआईओसीएल और एनएमपीटी के बीच कुछ व्यय तत्वों की हिस्सेदारी पर विचार कर तय की गई है। वर्ष 2001-02 की अंतिम दर वास्तविकताओं के आधार पर परिकलित की गई है और 39.35 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय की गई है।

4. एनएमपीटी ने यह भी सूचित किया है कि बंदरगाह शुल्क का परिकलन केआईओसीएल द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात जाँचा गया है और लिखित में दर की पुष्टि की है।

5. वर्ष 2001-02 में एनएमपीटी के माध्यम से केआईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क पर बंदरगाह शुल्क 39.35 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्धारित करने के लिए एनएमपीटी का प्रस्ताव, दरों के पूर्वव्यापी अनुमोदन का प्रकरण है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विधि मंत्रालय पहले ही राय व्यक्त कर चुका है कि यह प्राधिकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रशुल्क निर्धारित कर सकेगा। इसके अलावा, सहमत दर पर पहुंचने में पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच कोई मतभेद नहीं है। यह प्राधिकरण वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, और 2000-2001 में भी एनएमपीटी के माध्यम से केआईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क के मामले में इसी तरह बंदरगाह शुल्क दर अनुमोदित कर चुका है। वर्ष 2000-2001 के लिए कुद्रेमुख लौह अयस्क पर बंदरगाह शुल्क की अनुमोदित दर 36.46 रुपए मीट्रिक टन थी।

6. चूंकि वर्तमान पद्धति 10 वर्षों से अधिक समय से प्रचलन में है और पारस्परिक सहमत व्यवस्था है, इसलिए यह प्राधिकरण इसे जारी रखने की अनुमति देता है।

7. तदनुसार, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वर्ष 2001-02 के दौरान न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से केआईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क/गुटिकाओं की घाटशुल्क दर 39.35 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित करने का एनएमपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003]